

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आभिलेख ताद संख्या- 169/20-21(111)

दिनांक

3/9/2020

आदेश फलक

अभियुक्ति

चाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापाक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्म की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि

मौजा- गौशुतीपा, थाना न०- 184, खाता संख्या- 78, प्लॉट संख्या- 2992, रकबा- 1.00 ए० एकड की भूमि जो गैरमजरूआ

खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 2, के पृष्ठ संख्या- 522, पर जमाबंदी रैयत गुरु मांझी पिता-इसैव मांझी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उघेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दरतावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/9/2020 को उपस्थापित करें।

09/9/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

वाद अभिलेख संख्या- 169/20-21(111) 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act, 1950)

सूचना

वनाम- गुरु मंडी
पिता- इसैय मंडी
साठ- गौड़तीपा

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि मौजा- गौड़तीपा थाना नं०-
184, खाता नं०- 98 खेसरा नं०- 2992
रकबा- 1.00 एठ से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VII के पंजी II भाग 2
के पृष्ठ 522 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न
में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नाहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।
इसे सख्त ताकिद जानें।

19/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :-

स्थान :-

अधिकृत उपस्थित। कृपया तलिका प्रकाश। निम्नलिखित विधि को जमाबंदी
पत्र/जमाबंदी पत्र से प्रकाश के द्वारा जमा भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज
संबंधित नहीं किया गया और न ही प्रकाश का ही रखा गया।

जमा जमा जमाबंदी को कृपया ध्यानपूर्वक पुर इसे विभाग (आयकर) भूमि सुधार अधिनियम
1956 की धारा 4(1) के तहत जमाबंदी को नष्ट करने हेतु अनुमति की जाती है। अधिकृत
कार्यवाई हेतु अधिकृत भूमि से भूमि सुधार जमाबंदी को भेजें।

2/10
11

अधिकृत अधिकारी
भारतपुर